HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर

दिनाँक 02.09.2023

06 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली, राठ, ललपुरा, चिकासी व मझगवां के 06 गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

1) रोहन निषाद पुत्र चंद्रशेखर निवासी ग्राम जरौली व थाना कोतवाली नगर, हमीरपुर को दिनांक 25.07.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

2) मनीष दीक्षित पुत्र अशोक निवासी उजनैडी व थाना ललपुरा,हमीरपुर को दिनांक 25.07.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

3) जुबेर पुत्र चीना निवासी जोगियाना व थाना राठ, जनपद हमीरपुर को दिनांक 18.07.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

4) राम अवतार पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम अटगॉव थाना मझगवॉ, हमीरपुर को दिनांक 18.07.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

5) जितेंद्र पुत्र धर्मपाल राजपूत निवासी ग्राम व थाना चिकासी, हमीरपुर को दिनांक 15.07.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

6) उदित नारायण पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम बंधोली थाना चिकासी, हमीरपुर को दिनांक 15.07.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।